ISSN 2231-1629
Knowledge Resonance

IMPACT FACTOR 8.072
January - June 2021- Vol. 10 No. 1

झारखण्ड के कोल्हान विश्वविद्यालय में घंटी आधारित अनुबंध शिक्षकों की स्थिति : एक सामाजिक–ऐतिहासिक अध्ययन

अन्नपूर्णा झा
इतिहास विभाग,
डिग्री कॉलेज, मनोहरपुर,
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा।

★★★

सारांश – "प्रस्तुत शोधपरक आलेख झारखण्ड राज्य के अधीन कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत घंटी आधारित अनुबंध शिक्षकों की स्थिति का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन और उनकी स्थिति एवं समस्याओं को केंद्र में रखते हुए विश्वविद्यालय की कार्यशैली तथा कार्यसंस्कृति के आधार पर सांख्यिकीय विधि से विश्लेशण किया गया है। आनुभाविक अध्ययन पद्धति के आधार पर उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली से उत्तरदाताओं का चयन करते हुए प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आँकड़ों का विश्लेशण किया गया है। जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि इस विश्वविद्यालय में अधोसंरचना की कमी, असंतुलित शिक्षक : छात्र अनुपात (1 : 159), लालफीताशाही, उच्च अधिकारियों की कामचलाऊ, ढुलमुल नीति तथा कार्यशैली एवं कार्यसंस्कृति के कारण कार्यरत घंटी आधारित शिक्षकों में मानदेय एवं अन्य मुद्दों को लेकर घोर असंतोष व्याप्त है। जिसे दूर कर शैक्षणिक वातावरण को गुणवत्तापूर्ण रूप से और सशक्त किया जा सकता है।

मूलशब्द : "घंटी आधारित अनुबंध शिक्षक, शिक्षकःछात्र अनुपात, कार्यशैली, कार्यसंस्कृति, लालफीताशाही"।

परिचयः – "हमें एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना होगा जहाँ युवाओं को अन्तराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप शिक्षा मिले, छात्रों में आत्मचेतना, संवेदनशीलता, मौलिक सोच विकसित करने और प्रभावशाली संवाद, समस्या समाधान व अन्तर्वैयक्तिक संबंधों की दक्षता बढ़े" – पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी का कथन। परन्तु दूसरी ओर "देश की आजादी एवं झारखण्ड राज्य बनने के बाद आदिवासी, दलित एवं अल्पसंख्यक वर्गों में शिक्षा के क्षेत्र में उम्मीद के अनुरूप विकास नहीं हो पाया।" – मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन का मार्च 2021 का कथन। झारखण्ड राज्य गठन (15 नवम्बर 2000) से लेकर विगत 20 वर्षों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 6500 करोड़ रूपये से अधिक खर्च करने के बाद भी राज्य में उच्च शिक्षा की स्थिति मजबूत नहीं हो सकी। वित्तीय वर्ष 2020–21 में झारखण्ड के कुल बजट का सबसे अधिक 15.64 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है। फिर भी ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन 2017–18 की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि झारखण्ड में 18–23 आयुवर्ग के एक लाख विद्यार्थियों पर 8 कॉलेज उपलब्ध हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 28 कॉलेज उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने 2020 तक 30 प्रतिशत लोगों को विश्वविद्यालय तक लाने के लिए देष में 1500 विश्वविद्यालय और लगभग 45,000 कॉलेज खोलने की सिफारिश की है। केंद्रीय मानव संसाधन विभाग, भारत सरकार, 2017 की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि झारखण्ड में उच्च षिक्षा की स्थिति बेहतर नहीं है। राज्य में अप्रैल 2018 तक 01 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 01कृषि विश्वविद्यालय, 08 राज्य विष्वविद्यालय, 01 विधि विश्वविद्यालय, 09 निजी विश्वविद्यालय, 15 डीम्ड विश्वविद्यालय तथा इंजीनियरिंग कॉलेज है। राज्य की साक्षरता दर जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार 66.40 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत है।

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा : झारखण्ड राज्य के गठन के 9वें वर्ष 12 अगस्त 2009 को कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा की स्थापना एक राज्य विश्वविद्यालय के रूप में हुई। जिसका मुख्य उद्देश्य कोल्हान क्षेत्र यानी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला–खरसवाँ जिले के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान किया जा सके। इन जिलों की साक्षरता दर भी काफी कम है।

तालिका संख्या 1

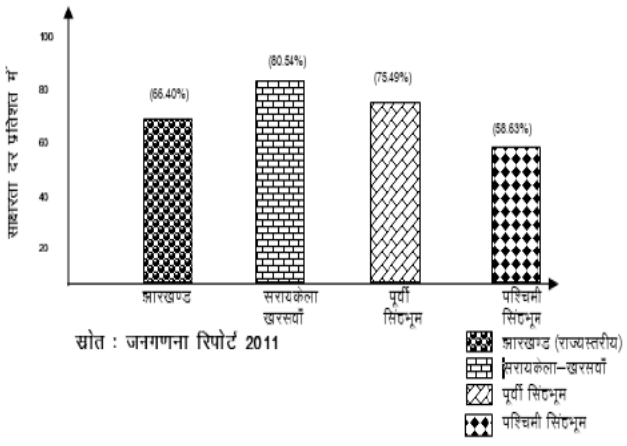

स्रोत : जनगणना रिपोर्ट 2011

शिर्षक : कोल्हान क्षेत्र में साक्षरता दर का विवरण

तालिका से स्पष्ट होता है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला में साक्षरता दर 58.63 प्रतिशत, राज्य स्तर की साक्षरता दर से भी कम है। जबकि उच्च शिक्षा की स्थिति तो काफी दयनीय है। भारत में उच्च साक्षरता दर के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जनजाति में उच्च साक्षरता की स्थिति काफी कम है जिसे निम्न तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है।

तालिका संख्या 2
शीर्षक : भारत में उच्च साक्षरता दर

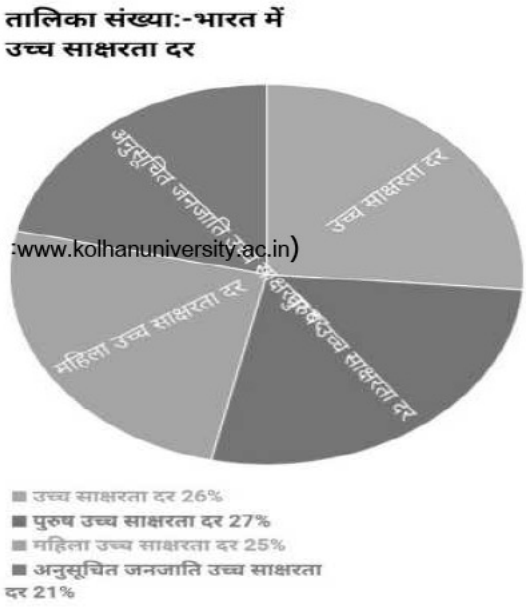

(स्रोत :www.kolhanuniversity.ac.in)

(स्रोत :एन.एच.आर.डी – एनुअल रिपोर्ट ऑफ हायर एजुकेषन)

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा का ऑल इंडिया लेवल पर 640वॉं तथा वैश्विक स्तर पर 12187वॉं रैंकिंग है। इस विश्वविद्यालय के अन्तर्गत 20 अंगीभूत महाविद्यालय तथा 26 एफिलिएटेड कॉलेज हैं।

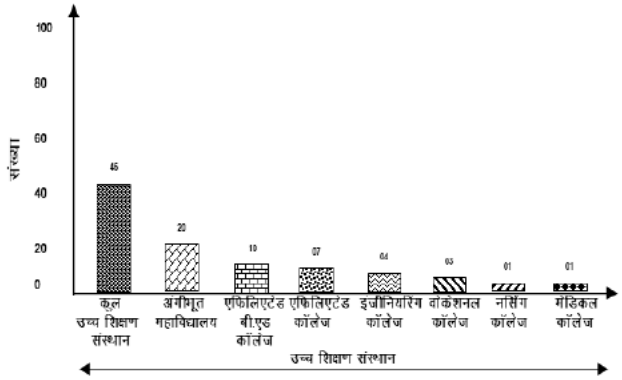

तालिका संख्या 3

कोल्हान विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 80,000 है जो सभी संकायों से संबंधित है। इस विश्वविद्यालयों में सभी संकायों में स्नातक, स्नातकोत्तर, पी.एच.डी., मेडिकल, इंजीनियरिंग, कानून, वोकेशनल कोर्स, बी.एड आदि की पढ़ाई होती है।

कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा देश का प्रथम विश्वविद्यालय है जिसने अपने गठन के छठे वर्ष 2016 में ही राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिशद (नैक) की ओर से ग्रेडिंग प्वाइंट 1.60 सी.जी.सी. एस के साथ "सी" ग्रेड प्राप्त किया।

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के शोध के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत के 90 प्रतिशत कॉलेज और 70 प्रतिशत विश्वविद्यालयों का स्तर ही बहुत कमजोर है। नेशनल इंस्टीट्यशनल रैंकिग फ्रेमवर्क, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार[7] के रिपोर्ट 2021 से स्पष्ट होता है कि कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा में वर्ष 2017–18 लेकर 2019–20 तक शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन मद में सर्वाधिक व्यय हुआ जबकि अन्य मदों पर बहुत कम।

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की स्थिति

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों में नियमित कर्मचारियों का स्वीकृत रिक्त पद 647 है, जिनमें 424 पद वर्तमान में रिक्त हैं जबकि 1099 अतिरिक्त पदों की और जरूरत है। इससे खराब स्थिति शिक्षकों की है। आज से 30 वर्ष पहले इस क्षेत्र के महाविद्यालयों में शिक्षकों के लिए कुल स्वीकृत 763 पद सृजित किए गए थे जिनमें वर्तमान में सिर्फ 210 स्थायी शिक्षक कार्यरत हैं। जबकि विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों के द्वारा समर्पित विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रतिवेदन (2020) से स्पष्ट होता है कि कोल्हान विश्वविद्यालय में कुल स्वीकृत पद 587 रिक्त पद 397 तथा अतिरिक्त पद 1007 है। जबकि कोल्हान विश्वविद्यालय के गठन के समय पी.जी. विभाग के लिए 61 तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के लिए 80 पद स्वीकृत किए गए। इन्हें निम्न तालिका में स्पष्ट किया जा सकता है।

तालिका संख्या 4
शीर्षक : कोल्हान विश्वविद्यालय में कुल स्वीकृत पद

पद	कुल स्वीकत पद	रिक्त पद	अतिरिक्त पद
शिक्षक	587	397	1007
शिक्षकेत्तर कर्मचारी	647	424	1099
कुल	1234	821	2106

स्रोत : प्रभात खबर तथा कुल सचिव द्वारा समर्पित प्रतिवेदन (2020)

घंटी आधारित अनुबंध शिक्षक :–राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षकों की घोर कमी से जूझते हुए राज्य सरकार ने वर्ष 2017 में विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से संचालन हेतु स्वीकृत रिक्त पदों पर घंटी आधारित शिक्षकों की संविदा पर नियुक्ति एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को मानदेय के भुगतान के सम्बन्ध ा में मार्गदर्शिका का संकल्प पारित किया। जिसके आलोक में राज्य के सात विश्वविद्यालयों में वर्ष 2017–18 में लगभग 900 घंटी आध ाारित शिक्षकों की नियुक्ति विधिवत् तरीके से की गयी। इनका मानदेय 600 रूपये प्रति कक्षा और अधिकतम 36,000 रूपये प्रतिमाह के आधार पर वर्ष 2017 से लेकर 2020 तक कोल्हान विश्वविद्यालय में कुल 314 घंटी आधारित अनुबंध शिक्षकों को स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्त किया गया। जिसे निम्न तालिका में समझा जा सकता है।

तालिका संख्या 5
शिर्षक : कोल्हान विश्वविद्यालय में घंटी आधारित अनुबंध शिक्षकों का विवरण

वर्ष	घंटी आधारित अनुबंध शिक्षकों की संख्या
2017	135
2018	76
2019	00
2020	103
कुल	314

स्रोत : KU/R/1456/17, KU/R/307/18, KU/R/161/20, KU/R/253/20, KU/R/521/20 कोल्हान, के पत्रांक 2017–2020 कुल सचिव द्वारा समर्पित प्रतिवेदन (2020)

तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2017 से 2020 तक कुल 314 घंटी आधारित अनुबंध शिक्षक कोल्हान विश्वविद्यालय में नियुक्त किए गए। ये सभी घंटी आधारित अनुबंध शिक्षक यू.जी.सी रेगुलेशन 2010 तथा झारखण्ड सरकार के विश्वविद्यालय अधिनियम 2017 के आधार पर कुलपति महोदया की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा चयनित होकर स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्त हुए। उच्च शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 04/वि/135/2016/528 दिनांक 5–4–2021 में उद्धत है – "यह बात ध्यान देने योग्य है कि इन शिक्षकों के लिए योग्यता के वही प्रतिमान निर्धारित है जो कि नियमित रूप से नियुक्त शिक्षकों के लिए है, अर्थात ये शिक्षक यू.जी.सी. नेट अर्हता प्राप्त एवं कुछ झारखण्ड के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सवेक्षण सर्वे (AISHE) 2018–19 के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि झारखण्ड में शिक्षक–छात्र अनुपात 1 : 60 है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 1 26 है। जबकि कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा में कुल शिक्षकों की संख्या जो वर्तमान में कार्यरत हैं, स्थायी शिक्षक–190, घंटी आधारित अनुबंध शिक्षक–314 यानी कुल शिक्षकों की संख्या 504 है जबकि विद्यार्थियों की संख्या 80,000 है। इस प्रकार शिक्षक–छात्र अनुपात 1 : 159 है।

कोल्हान विश्वविद्यालय में व्यय :– नैशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, षिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिवेदन 2021 से स्पष्ट होता है कि झारखण्ड के कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा में 2017–18 में सेमिनार, कांफ्रेंस तथा वर्कषॉप पर 3 लाख रूपये व्यय किए गए थे जबकि 2018–19 तथा 2019–20 में एक भी रूपया इस मद में व्यय नहीं किया गया। 2019–20 में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों पर वेतन के मद में 74,64,59,490 रूपया व्यय किया गया। शैक्षणिक आधारभूत संरचना की मरम्मति तथा अन्य मदों पर 10,000 रूपया व्यय किया गया। इस प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट होता है कि 2016–17 से लेकर 2018–19 की समयावधि में एक भी बच्चे का चयन उच्च शिक्षा के लिए नहीं हुआ।

कोल्हान विश्वविद्यालय की कार्यशैली व कार्यसंस्कृति अध्ययन से स्पष्ट होता है कि किसी भी संगठन की कार्यसंस्कृति में उसकी मान्यताओं और सिंद्धांतों, कार्यस्थल पर माहौल, कर्मचारियों के विश्वास एवं दृष्टिकोण तथा आपसी व्यवहार, वरिश्ठों की नेतृत्व शैली आदि का समावेश होता है। कार्यसंस्कृति ही किसी संगठन की कार्यशैली का निर्धारण करती है एवं अच्छी कार्यसंस्कृति से कार्मिकों को लाभ, आर्थिक लाभ, मनोबल में वृद्धि एवं सहयोग को बढ़ावा मिलता है। इससे उत्पादकता एवं प्रदर्शन में वृद्धि, रचनात्मकता के विकास, दायित्वों के निर्वहन प्रतिबद्धता, कार्मिकों में संतुष्टि एवं समस्याओं को मिल–बॉटकर सुलझाने का कार्य किया जाता है।

जहाँ तक कोल्हान विश्वविद्यालय की कार्यसंस्कृति के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्राध्यापकों को उच्च शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार के वर्ष 2017 के संकल्प के अनुसार पी.जी (स्नातकोत्तर) की कक्षा लेने की अनुमति नहीं है। फिर भी 2020 में 10 शिक्षकों की नियुक्ति पी.जी. विभाग में की गई तथा एक साल के बाद विभिन्न महाविद्यालयों में उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया। जबकि इसी संकल्प के आधार पर अन्य विश्वविद्यालयों में नियुक्त घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्राध्यापक पी.जी की भी कक्षाएं ले रहे हैं यथा राँची विश्वविद्यालय, राँची तथा नीलाम्बर–पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू (पत्रांक कृकृ तिथि 16–04–21) कोल्हान विश्वविद्यालय में नियुक्त घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्राध्यापकों को वर्ष 2017 से लेकर अब तक कभी भी नियमित रूप

से प्रतिमाह मानदेय का भुगतान नहीं किया गया। बल्कि 6–7 माह में एकबार मानदेय करने की एक नई परम्परा की शुरूआत इस विश्वविद्यालय ने की। कोरोना कोविड–19 महामारी के दौरान भी इन शिक्षकों ने ऑनलाईन क्लास व यू–टयूब पर सर्वाधिक पाठ्यसामग्री को डाला, फिर भी ससमय इन शिक्षकों को मानदेय का भुगतान नहीं किया जाना इस विश्वविद्यालय की कार्यसंस्कृति को उजागर करता है।

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् वर्ष 2018–19 में प्राप्त सूचना के आधार पर कहा जा सकता है कि इन घंटी आधारित अनुबंध शिक्षकों से स्थायी शिक्षकों की भांति वर्ष 2017 से अनवरत कार्य लिया जाता रहा, यथा 10.30 से 4.30 बजे तक महाविद्यालय में रोकना, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन, वीक्षण, पेपर सेटिंग तथा महाविद्यालय स्तर के विभिन्न समितियों का सदस्य आदि। जबकि दूसरी ओर औसत रूप से 15,000 – 20,000 रूपया से अधिक का मानदेय इन शिक्षकों का कभी नहीं बनता। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जानबूझ कर कम कक्षाएं आवंटित करना, मानदेय का बिल विलम्ब से भेजना विभिन्न महाविद्यालय प्रशासन की कार्यशैली बनी रही। उच्च शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार ने इन शिक्षकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए 16 अक्टूबर 2020 को एक पत्र निर्गत करते हुए लिखा कि "कोरोना महामारी के दौरान न्यूनतम 30,000 रूपया प्रतिमाह की कक्षाएं इन शिक्षकों को आवंटित करवाना सुनिश्चित करें"। परंतु इसका प्रभाव विश्वविद्यालय प्रबंधन पर तनिक भी नहीं पड़ा और न ही महाविद्यालयों पर। जिससे स्पष्ट होता है कि कोल्हान विश्वविद्यालय की कार्यसंस्कृति व कार्यशैली यह रही है कि उक्त पत्र का सुनिश्चित पालन आज तक नहीं हो पाया साथ ही अक्टूबर 2020 से अप्रैल 2021 का मानदेय का भुगतान सात महीने बाद किया गया।

वहीं दूसरी ओर उच्च शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प के द्वारा इन शिक्षकों का सेवा विस्तार 31 मार्च 2021 तक, पुनः 5 अप्रैल 21 के संकल्प के माध्यम से 30 सितम्बर 2021 तक किया गया।

घंटी आधारित अनुबंध शिक्षकों के संविदा नवीनीकरण की प्रक्रिया भी इस विश्वविद्यालय में काफी जटिल है जिसे पूरा करने में तीन–चार माह का लंबा समय लग जाता है ठीक उसी तरह जैसे मानदेय भुगतान करने में 6–7 माह का समय लगाया जाता है। हालांकि विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी के कार्यालय से निर्गत पत्र में प्रतिमाह 7 तारीख तक इन शिक्षकों का बिल भेजने का जिक्र किया जाता है। लेकिन ये बिल महाविद्यालयों के पदाधिकारियों की लालफीताशाही तथा उच्च अधिकारियों की कामचलाऊ ढुलमुल नीति का शिकार बनते रहते हैं। अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि महाविद्यालय इन शिक्षकों को इतना अधिक भयभीत रखते हैं कि अगर इनकी व्यवस्था के अनुसार घंटी आधारित अनुबंध शिक्षक कार्य न करें तो इनकी नौकरी तक समाप्त कर दी गई है। जबकि उनके शीर्ष विश्वविद्यालय राँची विश्वविद्यालय में संविदा नवीनीकरण की ऐसी जटिल प्रक्रिया है ही नहीं और न ही बार–बार संविदा नवीनीकरण हेतु एग्रीमेंट की जाती है।

अन्य विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए अवकाश के दिनों में भी विशेष कक्षाएं आवंटित की जाती है लेकिन कोल्हान विश्वविद्यालय में ऐसा विगत तीन वर्षों से नहीं किया गया है।

पूर्ववर्ती साहित्यों की समीक्षा :– प्रस्तुत शोधपरक आलेख के सम्बन्ध में पूर्व में कई प्रकाशित शोध आलेख, पत्र–पत्रिकाएं एवं झारखण्ड सरकार के उच्च शिक्षा विभाग से प्रकाशित संकल्प एवं नियम, अधिनियम को आधार बनाकर इसे मौलिक रूप दिया गया। जंधाल तिलक (2007) के "हायर एजुकेशन इन इंडिया" के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षा में सुधार करने की आवश्यकता है। संजीव कुमार सिन्हा के शोध आलेख "चैलेंजेज बिफोर हायर एजुकेशन इन झारखण्ड (2011)" से स्पष्ट होता है कि झाखण्ड में गरीबी की स्थिति, शैक्षणिक सत्र, वैश्वीकरण के युग में शिक्षा के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। जे.डी. सिंह के "हायर एजुकेशन इन इंडिया : इश्यूज, चैलेंजेज एण्ड सजेशंस" 2011 से भारत में उच्च शिक्षा की चुनौतियाँ और उनसे निपटने के लिए सुझावों पर विस्तार से चर्चा की गई है। यू.जी.सी रेगुलेशन (2010) की कंडिका 13/1 से संविदा शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया, न्यूनतम अर्हताएं, कुल स्वीकृत रिक्त पदों पर 10 प्रतिशत नियुक्ति एक शैक्षणिक सत्र हेतु तथा रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर के समान एक फिक्स्ड वेतन देने की जानकारी प्राप्त होती है। नैशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिवेदन 2021 से स्पष्ट होता है कि झारखण्ड के कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा में 2017–18 में सेमिनार, कांफ्रेंस तथा वर्कशॉप पर 3 लाख रूपये व्यय किए गए थे परन्तु 2018–19 तथा 2019–20 में एक भी रूपया इस मद में व्यय नहीं किया गया। यह स्पष्ट होता है कि 2016–17 से लेकर 2018–19 की समयावधि में एक भी बच्चे का चयन उच्च शिक्षा के लिए नहीं हुआ।

शोध आलेख का उद्देश्य :

1. कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थिति को जानना।
2. कोल्हान विश्वविद्यालय में कार्यरत घंटी आधारित अनुबंध शिक्षकों की स्थिति को जानना।
3. कोल्हान विश्वविद्यालय की कार्यशैली व कार्यसंस्कृति को जानना

उपकल्पना :

1. कोल्हान विश्वविद्यालय में संरचनात्मक विकास और विकासात्मक संरचना का अभाव।

2. कोल्हान विश्वविद्यालय में कार्यरत घंटी आधारित अनुबंध शिक्षकों की स्थिति काफी निम्न है।

3. कोल्हान विश्वविद्यालय की कार्यशैली व कार्यसंस्कृति अहंकारपूर्ण लालफीताशाही तथा उच्च अधिकारियों की कामचलाऊ ढुलमुल नीति की शिकार ग्रस्त है।

अध्ययन क्षेत्र : प्रस्तुत शोध आलेख के अध्ययन क्षेत्र के लिए पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला–खरसवाँ जिले में स्थित सभी अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत घंटी आधारित अनुबंध शिक्षकों को आधार बनाया गया है, जो कोल्हान विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आता है और विश्वविद्यालय की कार्यशैली व कार्यसंस्कृति से प्रभावित होता है। इस विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत महाविद्यालयों में घंटी आधारित सहायक प्राध्यापक कार्यरत हैं जो इसमें सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दिव्यांग शिक्षक नियुक्त हैं जिनके कारण आँकड़ों के संकलन में सुविधा होती है। ये महाविद्यालय चाईबासा, मझगांव, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, जमशेदपुर, चाण्डिल, घाटशिला, बहरागोड़ा, सरायकेला, खरसवाँ आदि जगहों पर अवस्थित है।

अध्ययन विधि एवं तकनीकी : प्रस्तुत शोध आलेख आनुभाविक अध्ययन विधि पर आधारित है। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली के आधार पर विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालयों में घंटी आधारित अनुबंध शिक्षकों में से 50 सूचनादाताओं का चयन कर सामूहिक साक्षात्कार विधि का उपयोग करते हुए आँकड़ों का संकलन किया गया तथा सांख्यिकी विधि से विश्लेषण किया गया। द्वितीयक स्रोत के अन्तर्गत प्रकाशित लेख, झारखण्ड सरकार के विभिन्न संकल्पों, पत्रों व अधिनियमों को आधार बनाकर विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन का महत्व : 1. कोल्हान विश्वविद्यालय की वस्तुस्थिति को जानने में तथा उसके अनुसार नीति निर्माण करने में।

2. कोल्हान विश्वविद्यालय में कार्यरत घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्राध्यापकों की स्थिति जानने, समस्याओं को दूर करने एवं इस सन्दर्भ में नीति निर्माण करने में प्रस्तुत आलेख का काफी महत्व है ।

3. कोल्हान विश्वविद्यालय की कार्यशैली व कार्य संस्कृति में सुधा लाने में प्रस्तुत शोध आलेख का काफी महत्व है ।

तथ्य विश्लषण एवं परिणाम : प्रस्तुत शोध परक आलेख "झारखण्ड के कोल्हान विश्वविद्यालाय में घंटी आधारित अनुबंध शिक्षकों की स्थिति, एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" में प्राथमिक स्रोत के द्वारा 50 सूचनादाताओं से तथ्य संकलन व द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण के आधा पर कहाजा सकता है कि –शत–प्रतिशत सूचनादाताओं की नियुक्ति यू.जी.सी रेगुलेशन 2010 तथा झारखण्ड के विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 के आधार पर विधिवत रूप से किया गया है। 91 प्रतिशत उत्तरदाता पी.एच.डी और नेट उत्तीर्ण हैं। शत प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना है कि इनकी सेवा से महाविद्यालय के उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में काफी प्रगति हुई है। राज्य में अवस्थित सभी विश्वविद्यालयों में सर्वाधिक ऑनलाईन शिक्षा व विडियों अपलोड इस विश्वविद्यालय में कार्यरत घंटी आधारित अनुबंध शिक्षकों ने किया है। शत प्रतिशत सूचना दाताओं का कहना है कि इन शिक्षकों से स्थायी शिक्षकों की भांति ही कार्य लिया जाता है। शत प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना है कि इन्हें ससमय मानदेय का भुगतान नहीं किया जाता है। सर्वाधिक 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार इनके मानदेय में घोर असमानता पायी जाती है। शत प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना है कि इन्हें अवकाश के दिनों में कोई मानदेय का भुगतान नहीं किया जाता है। सर्वाधिक 72 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा इनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। सर्वाधिक 98 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि इस सेवा में भविष्य असुरक्षित है। शत प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना है कि राज्य सरकार ने स्थायी नियुक्ति में वरीयता अंक नहीं दिया है। शत प्रतिशत सूचनादाताओं ने कहा है इस सेवा में न तो सामाजिक सुरक्षा है न ही ईपीएफ व बीमा की सुविधा प्राप्त है। शत प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना है कि नियुक्ति से लेकर अब तक इनके मानदेय में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है। सर्वाधिक 88 प्रतिशत सूचनादाताओं को प्रतिमाह मानदेय भुगतान नहीं होने से आजीविका चलाने तथा मकान किराया भुगतान करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। शत प्रतिशत सूचनादाताओं ने कहा है कि इनके नौकरी को सरकार द्वारा स्थायी किया जाय।शत प्रतिशत सूचनादाताओं ने कहना है कि इन्हें स्थायी शिक्षकों के भांति वेतन, बीमा, ईपीएफ और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाय। शत प्रतिशत सूचनादाताओं ने कहना है कि महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के ढुलमुल नौकरशाही के कारण इनके साथ समस्याएं उत्पन्न होती है। षत प्रतिशत सूचनादाताओं ने कहना है कि विश्वविद्यालय के साथ साथ महाविद्यालयों की कार्यशैली एवं कार्यसंसकृति प्रेरणादायक और प्रोत्साहन मूलक नहीं है।

निष्कर्श : प्रस्तुत शोध आलेख में वैज्ञानिक विधि से संकलित आँकड़ों के तथ्य विष्लेशन के आधार पर कहा जा सकता है कि कोल्हान विश्वविद्यालय का गठन जिन उद्देश्यों के लिए किया गया, उसकी कसौटी पर यह विगत 12 वर्षों में पूणरूपेण नहीं उतर पाया। क्योंकि यहाँ सकल नामांकन का अनुपात कम होना, आधारभूत संरचनाओं की कमी, शोध एवं विकास की धीमी गति, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की कमी है जिसका मुख्य कारण विश्वविद्यालय की लालफीताशाही, संरचनात्मक विकास एवं विकासात्मक संरचना का सख्त अभाव, जवाबदेही एवं पारदर्शिता की नकारात्मक स्थिति है जिसके फलस्वरूप न तो घंटी आधारित अनुबंध शिक्षकों की समस्याओं का निदान हुआ, न ही विद्यार्थियों की और न ही

विश्वविद्यालय की कार्यशैली एवं कार्यसंस्कृति में अब तक कोई सुधार आ सका है। अतः कुलपति एवं कुलसचिव को इन समस्याओं पर गम्भीरतापूर्वक नीति निर्माण करते हुए शिक्षक, छात्र और विश्वविद्यालय की कार्यशैली एवं कार्यसंस्कृति में सुधार लाने के साथ ही शोध व नवाचार को भी सुव्यवस्थित करना अनिवार्य है।

सुझाव :

1. कोल्हान विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत महाविद्यालयों में अधोसंरचना को विकसित करना चाहिए।
2. विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्राध्यापकों को प्रतिमाह यू. जी.सी रेगुलेशन के अनुसार न्यूनतम बेसिक ग्रेड पे का नियमित रूप से भुगतान किया जाना चाहिए।
3. विश्वविद्यालय प्रशासन को चाहिए कि कुलपति की अध्यक्षता में तथा कुलसचिव, वित्त पदाधिकारी, सभी प्राचार्यों की उपस्थिति में घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्राध्यापकों के साथ बैठक करें और सौहार्दपूर्ण तरीके से उनकी समस्याओं को ऑन द स्पॉट सुलझायें।
4. घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्राध्यापकों के सन्दर्भ में नीति निर्माण करते वक्त इन शिक्षकों के प्रतिनिधियों को भी रखा जाना चाहिए।
5. विश्वविद्यालय की लालफीताशाही को समाप्त करते हुए जटिल प्रक्रिया को सरल किया जाना चाहिए तथा कार्यशैली एवं कार्यसंस्कृति में सुधार किया जाना चाहिए।
6. घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्राध्यापकों के मानदेय भुगतान को अधिकाधिक सरल व तत्काल भुगतान योग्य बनाना चाहिए।

संदर्भ सूची :

1. *ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेषन (AISHE) 2017–18 की रिपोर्ट दिल्ली।*
2. *राष्ट्रीय ज्ञान आयोग प्रतिवेदन 2020 नई दिल्ली।*
3. *केंद्रीय मानव संसाधन विभाग भारत सरकार, 2017 का प्रतिवेदन*
4. *जनगणना रिपोर्ट 2011, भारत सरकार, नई दिल्ली*
5. *www.kolhanuniversity.ac.in*
6. *राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद*
7. *नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिग फ्रेमवर्क, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली प्रतिवेदन 2021*
8. *दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर, 10–02–2020*
9. *उच्च शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार को विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों द्वारासमर्पित प्रतिवेदन अगस्त 2020*
10. *दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर, 12–02–2020*
11. *उच्च शिक्षा, तकनीकी एवं कौशल विकास विभाग, संकल्प संख्या 04–वि0/1– 135/2016/516– दिनांक 02–03–2017*
12. *विश्वविद्यालय के पत्रांक के.यू/आर/1456, दिनांक 29–11–2017, के.यू/आर/307,दिनांक 27–04–2018, कयू/आर/161/2020, दिनांक 06–02–2020, के.यू/ आर/253/2020, के.यू/आर/521/ 2020, दिनांक 29–02–2020।*
13. *उच्च शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार, संकल्प संख्या 04/वि0/1–135/2016/528 दिनांक 05–04–2021*
14. *कोल्हान विश्वविद्यालय पत्रांक Ref.No. KU/R/51/2021 दिनांक 16–01–2021*
15. *उच्च न्यायालय वाद संख्या WP(S)/548/2021 दिनांक 18–02–2021।*
16. *कोल्हान विश्वविद्यालय पत्रांक Ref.No. KU/R/439/2021 दिनांक 20–03–2021*
17. *उच्च न्यायालय, राँची, झारखण्ड वाद संख्या 675/2018 एवं 1500/2018 में पारित न्याय निर्णय*
18. *अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सवेक्षण सर्वेक्षण प्रतिवेदन 2018–19*
19. *उच्च शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार, संकल्प संख्या 04/वि0/1–135/2016/528 दिनांक 05–04–2021*
20. *नैशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिवेदन 2021*
21. *उच्च शिक्षा, तकनीकी एवं कौशल विकास विभाग, संकल्प संख्या 04–वि0/1–135/2016/516– दिनांक 02–03–2017*
22. *कोल्हान विश्वविद्यालय KU/R/161/2020 दिनांक 06–02–2020*
23. *कोल्हान विश्वविद्यालय KU/R/357/2021 दिनांक 08–03–2021*
24. *सूचना अधिकार अधिनियम 2005 मे तहत् प्राप्त सूचना*
25. *उच्च शिक्षा, तकनीकी एवं कौशल विकास विभाग, संकल्प संख्या 04–वि0/1– 135/2016/1117– दिनांक 16–10–2020*
26. *उच्च शिक्षा, तकनीकी एवं कौशल विकास विभाग, संकल्प संख्या 04–वि0/1– 135/2016/01– दिनांक 01–01–2021*
27. *उच्च शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार, संकल्प संख्या 04/वि0/1–135/2016/528 दिनांक 05–04–2021*
28. *कोल्हान विश्वविद्यालय KU/AC/0408/18 दिनांक 23–03–2018*
29. *बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबार पत्रांक बी.बी.एम.के.यू/383/2021 धनबाद दिनांक 08–05–21*
30. *तिलक जंधाल (2007) : हायर एजुकेशन इन इंडिया*